

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-615/2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

धनु पुर्ती.....आवेदक/विक्रेता

निलिमा कन्दुलना.....क्रेता

बनाम

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

} प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
21.02.2024	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती धनु पुर्ती पिता/पति स्व० बुधवा मुण्डा ग्राम-मुण्डा कुंजला, पो०-विचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-</p> <p style="text-align: center;">भूमि का विवरण</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कुंजला</td> <td>249</td> <td>16</td> <td>74</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती धनु पुर्ती पिता/पति स्व० बुधवा मुण्डा ग्राम-मुण्डा कुंजला, पो०-विचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को मकान निर्माण कराने हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती निलिमा कन्दुलना पिता/पति सामुएल कन्दुलना ग्राम-मईलबुरु, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>आवेदक/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान तथा लगान की रसीद सं० 01264714593 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की विक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 87 दिनांक 16.02.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम गेड़े मुण्डा वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के पुत्र हैं। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 22 पर जमाबंदी दर्ज है।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	कुंजला	249	16	74	0.10	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
कुंजला	249	16	74	0.10								

(4)

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता ही धाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिरसे की भूमि जो इनके दरख्त कब्जे में है, को मकान निर्माण हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, मुरहू के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही धाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक धाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 428 दिनांक 10.01.2024 के साथ अंचल अधिकारी, तोरपा के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2023/36538 दिनांक 14.02.2023 व आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHLRCO/2023/67893 दिनांक 14.02.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही धाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 87 दिनांक 16.02.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती धनु पुर्ती पिता/पति स्व० बुधवा मुण्डा ग्राम-मुण्डा कुंजला, पो०-बिचना, धाना-मुरहू, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती निलिमा कन्डुलना पिता/पति सामुएल कन्डुलना ग्राम-मईलबुरु, धाना-मुरहू, जिला-खूँटी के साथ ग्राम कुंजला के खाता सं० 16, खेसरा संख्या 74, कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

21/02/24

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।